(82)

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक: 07 OCT 2014.

**अधिसूचना**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उपधारा (9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर्स को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया था, जिसके समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप-धारा (9) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जावेगी।

उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, जिस नगर सुधार न्यास/प्राधिकरण में जिला कलक्टर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उस न्यास/प्राधिकरण में धारा 90-के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा (9) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

7/10/14

(जगजीत सिंह मोंगा)
शासन उप सचिव-द्वितीय

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास, आवा.एवं स्वा0 शासन विभाग)।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
6. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/तृतीय), एवं शासन उप सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
13. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट कॉपी के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-द्वितीय
7/10/14

(19)